

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-5)विभाग  
क्रमांक प.3(3 )चिकि.5 / 2014

जयपुर दिनांक ५-१२-१५

—आदेश:—

माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक दिनांक 23.11.2014 के निर्णयानुसार औषधियों की गुणवत्ता बढ़ाने, औषधियों की आपूर्ति निर्धारण एवं जनता को जैनेरिक दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु समिति (Expert Committee for Enhancing Quality Parameters of Drug & Supplies and Perception of Generic medicines amongst Public) का निम्नानुसार गठन किया जाता है:—

- |  |         |
|--|---------|
| 1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर               | चैयरमेन |
| 2. वाईस चान्सलर, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय                        | सदस्य   |
| 3. अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय जयपुर  | सदस्य   |
| 4. श्री अशोक भण्डारी—औषधि नियन्त्रक-I चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर | सदस्य   |
| 5. डॉ मुकुल माथुर—फार्माकॉलोजी डिपार्टमेन्ट, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर       | सदस्य   |

उक्त समिति औषधियों की गुणवत्ता एवं आपूर्ति तथा आमजन को जैनेरिक औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के नीति निर्धारण सम्बन्धी सुझाव 10 दिन में तैयार कर प्रस्तुत करेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से

(आर.के.सोनी)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक मा.मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. मिशन निदेशक एनएचएम / प्रबंध निदेशक आरएमएससी।
5. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. वाईस चान्सलर, राजस्थान हैल्थ साईन्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाईमान सिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. श्री अशोक भण्डारी, औषधि नियन्त्रक-I चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
9. डॉ. मुकुल माथुर, फार्माकॉलोजी डिपार्टमेन्ट, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली

  
शासन उप सचिव